न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुंनूं (राजस्थान)

सरकार बनाम श्याम सुन्दर वगै0
मुकदमा नम्बर 87/2014 सीआईएस नम्बर 7311/2014
अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भादंसं

दिनांक : 11.08.2025

अभियोजन अधिकारी उप0। अभियुक्तगण श्यामसुन्दर, अयाज, अनीश, नवीन, शोयब अनुपस्थित का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। गवाहान की तामीलें अदम प्राप्त हुई। गवाह कोई हाजिर नहीं। गवाहान की तामीलें गतादेशानुसार जारी हो। गवाह वीना गुप्ता का प्रार्थना बाबत् बयान जरिये वीसी करवाने हेतू जरिये कोरियर सर्विस प्राप्त हुआ। उक्त गवाह द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में वर्णित है कि गवाह वीना गुप्ता पेन्क्रियास केन्सर से पीडित है अतः गवाह के बयान जरिये वीसी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, गुरूग्राम को वीसी पोईंट उपलब्ध करवाये जाने व बयानों बाबत् कोर्डिनेटर नियुक्ति बाबत् निवेदन पत्र जारी हो। पत्रावली देखने पालना रिपोर्ट/साक्ष्य अभियोजन हेतू दिनांक 19/8/25 को पेश हो।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुन्झुनूं (राज.)